

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

टिप्पणी (क्रमिक)



डायरी

दिनांक 18.06.2024 को NIT संख्या 01 से 09/2024-25 की नियम शर्तों आदि हेतु प्री बीड मीटिंग रखी गयी। जिसमें निम्नांकित फर्मो द्वारा निम्न विवरण अनुसार आपत्ति/सुझाव दिये गये जो निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	सुझाव/आपत्ति	प्रस्तावित निविदा की शर्त	गत वर्ष की निविदा की शर्त	टिप्पणी
1	1. मैसर्स वर्षा कन्सो कम्पनी 2. मैसर्स ममता कन्सो कम्पनी 3. मैसर्स राकेश कन्सो कम्पनी 4. मैसर्स ऋतिका एन्टरप्राइजेज 5. हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रक्टर्स 6. सोसायटी एवं यूनियन द्वारा निविदा संख्या 01 से 09/2024725 की वन टाईम प्लान्टेशन की शर्त संख्या 08, शर्त संख्या 09 तथा शर्त संख्या 10 में तथा NIT NO. 02 की शर्त संख्या 02 में आपत्ति की हैं।	शर्त संख्या 08 :- फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य का निविदा राशि के 33 प्रतिशत राशि तक का एकल कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च-2024 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।	शर्त संख्या 08 :- फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य का निविदा राशि के 80 प्रतिशत राशि तक का एकल कार्यादेश अथवा 60 प्रतिशत राशि के दो कार्यादेश अथवा 40 प्रतिशत राशि के तीन कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च-2022 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।	1. तकनीकी कार्य हाने के कारण अनुभव होना अनिवार्य हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की प्रस्तावित निविदा में निविदा राशि का केवल 33 प्रतिशत राशि का अनुभव चाहा गया हैं। जो की उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है
		शर्त संख्या 09 :- संवेदक की स्वयं की नर्सरी अथवा स्थान जिसमें बैड्स बनाकर पौधें सुव्यवस्थित रूप से रखकर उनमें पानी देना एवं आवश्यक देखभाल एवं सुरक्षा हो सके ऐसा सुव्यवस्थित स्थान होना आवश्यक है।	शर्त संख्या 09 :- संवेदक की स्वयं की नर्सरी अथवा स्थान जिसमें बैड्स बनाकर पौधें सुव्यवस्थित रूप से रखकर उनमें पानी देना एवं आवश्यक देखभाल एवं सुरक्षा हो सके ऐसा सुव्यवस्थित स्थान होना आवश्यक है।	2. जब तक पौधे उठवाकर निर्धारित स्थान पर नहीं लगाये जाते हैं, तब तक संवेदक का स्वयं की नर्सरी अथवा स्थान होना आवश्यक हैं, जहाँ पर पौधे रखकर इनकी देखभाल हो सके। शर्त उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।

Seema

H

Me

11/9

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

टिप्पणी (क्रमिक)



डायरी

	<p>शर्त संख्या 10 :- तकनीकी बीड में भाग लेने वाले संवेदक जो निविदा की शर्त पूर्ण करते है उन सभी संवेदक की नर्सरी/स्थान की उपापन समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें नर्सरी/स्थान में जी-शिड्यूल मे वर्णित संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत पौधे स्वस्थ एवं रोग रहित नर्सरी/स्थान में रखे होना आवश्यक होगा। उपापन समिति द्वारा मौके पर रखे पौधों की निर्धारित ऊँचाई किस्म एवं गुणवत्ता पूर्ण होने पर ही वित्तीय बीड खोली जायेगी। यदि पौधों की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उस संवेदक की वित्तीय बीड नहीं खोली जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या 10 :- तकनीकी बीड में भाग लेने वाले संवेदक जो निविदा की शर्त पूर्ण करते है उन सभी संवेदक की नर्सरी/स्थान की उपापन समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें नर्सरी में जी-शिड्यूल मे वर्णित क एवं संख्या के कम से कम 20 प्रतिशत पौधे स्वस्थ एवं रोग रहित नर्सरी/स्थान में रखे होना आवश्यक होगा। उपापन समिति द्वारा मौके पर रखे पौधों की निर्धारित ऊँचाई किस्म एवं गुणवत्ता पूर्ण होने पर ही वित्तीय बीड खोली जायेगी। यदि पौधों की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उस संवेदक की वित्तीय बीड नहीं खोली जायेगी।</p>	<p>3.संवेदक की स्वयं की नर्सरी स्थान पर निविदा में जी-शिड्यूल में वर्णित संस्था के मात्र 20 प्रतिशत पौधे होना आवश्यक हैं। जिससे संवेदक को पौधो की तकनीकी जानकारी एवं पौधे उपलब्ध करवा सके के सम्बन्ध में आकलन किया जा सके। शर्त उपयुक्त एवं आवश्यक हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।</p>
<p><i>Seema</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>	<p>निविदा संख्या 09 की शर्त संख्या 02 :- फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में राजकीय विभाग/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री-गार्ड आपूर्ति कार्य का निविदा राशि के 33 प्रतिशत राशि का तक के एकल कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च-2024 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।</p>	<p>निविदा संख्या 09 की शर्त संख्या 02 :- फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में से किसी एक वर्ष में राजकीय विभाग/निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री-गार्ड आपूर्ति कार्य का निविदा राशि के 80 प्रतिशत तक का एकल कार्यादेश अथवा 60 प्रतिशत राशि के दो कार्यादेश अथवा 40 प्रतिशत राशि के तीन कार्यादेश सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने के बराबर मार्च-2022 तक पूर्ण कर इस आशय का सम्बन्धित विभाग से जारी कार्य निष्पादन रिपोर्ट निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।</p>	<p>4. राजकीय संस्था में उपक्रमों में लोहे के ट्री-गार्ड आपूर्ति की शर्त रखी गयी। जो की निविदा राशि की 33 प्रतिशत राशि का कार्य संतोषजनक पूर्ण होने की रखी गयी हैं। उक्त शर्त उपयुक्त गत वर्ष की शर्तों से सरल हैं। इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।</p>

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
टिप्पणी (क्रमिक)



डायरी

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्री बीड में प्राप्त सुझावो एवं आपत्ति के अनुसार प्रस्तावित निविदाओ की नियम शर्तो आदि में कोई परिवर्तन किया जाना उपयुक्त नहीं है। इस बाबत द्वारा समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

21/6
Seema
श्रीमती सीमा मीना
कनिष्ठ अभियन्ता

4/2/2
श्री वैभव कुमार
ए.सी.पी
मुम्बई पारिपाल (ए.पी.)

श्री रोहित पाराशर
वरिष्ठ लेखाधिकारी

19/6/24
श्री रविन्द्र सिंह
उपायुक्त (उद्यान)

31/6/2024
श्री जनार्दन शर्मा
उपायुक्त (मुख्यालय)

श्री सुनील सोनी
वित्तीय सलाहकार

श्रीमती सीमा कुमार
अतिरिक्त आयुक्त महोदय

फैरा सं 1/2 से 3/2 अनुसार समिति के निर्णय अनुसार पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

19/6/24

Jme Sb.

20/6

FA

20/6

D.C

GSTIN No. 08BDPPS6147B1Z9

Mobile no. 9828514181

RAKESH CONSTRUCTION COMPANY

Shop no. 27, Neer Sagar Market, Sirsi Road, Bhankrota, Jaipur, Rajasthan, 302026

S.NO. SP/01

Dated 18/06/24

श्रीमान उपायुक्त उद्यान,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

विषय: ई-निविदा क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2024-25 हेतु लगायी गयी शर्तों की प्रीबिड मीटिंग में आपत्ति दर्ज कर शर्तों को हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त निविदाओं के द्वारा वन टाइम वृक्षारोपण कार्य हेतु शर्तें क्रमांक 8 में फर्म द्वारा पिछले 3 वर्षों में 33 प्रतिशत राशी का एकल कायदेशि होना चाहिए जो की यह शर्तें अनुचित हैं जिसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन की श्रेणी आरपीपी एक्ट के अनुसार डी श्रेणी वालों को 15 लाख सी श्रेणी वालों को 50 लाख, बी श्रेणी वालों 1.5 करोड, ए श्रेणी वालों को 3.0 करोड राशि तक के कार्य में किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती हैं। शर्तें संख्या 9 संवेदक स्वंम की नर्सरी अथवा स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए। यह भी शर्तें अनुचित हैं। क्यो कि न्यूनतम दरें आने व कायदेशि जारी होने पर पौधों की सप्लाई संवेदकों द्वारा दी जाती हैं। जो संवेदक कही से भी पौधे सप्लाई कर सकता हैं। शर्तें संख्या 10 नर्सरी में जी शिडियूल के अनुसार 20 प्रतिशत पौधे रखे होने चाहिए। यह भी शर्तें अनुचित हैं। कायदेशि जारी होने पर जी शिडियूल के अनुसार पौधे मात्र सात दिवस के अन्दर पौधे तैयार कर आपूर्ति की जाती हैं। ई-निविदा क्रमांक 8/2024-25, में भी शर्तें अनुचित हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन की अवधि में कितने भी वर्षों में उद्यानकी कार्यों से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ई-निविदा क्रमांक 9/2024-25, शर्तें संख्या 2, के द्वारा किन्ही 3 वर्षों में 33 प्रतिशत राशि के ट्री गार्ड आपूर्ति की शर्तें भी अनुचित हैं।

अतः उक्त निविदाओं में लगायी गयी शर्तें आरटीपीपी एक्ट के नियम विरुद्ध हैं। उक्त शर्तों को विलोपित कर आरटीपीपी एक्ट के नियमों की पालना कर हमारी फर्म की उक्त ई-निविदाओं में व बोली प्रकिया में भाग लेने से नहीं रोका जाये। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप व नगर निगम जयपुर ग्रेटर की होगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ
आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर
उपायुक्त मुख्यालय
वित्तीय सलाहकार

भवदीय

Rakesh





Varsha Construction Company



GSTIN : 08ALNPD2896F1ZU
PAN No.: ALNPD2896F

(Govt. Contractor)

Mob. 9413835798
7014688140

Specialist in Horticultural Services, Garden Development &
Landscape Work, Civil, Electrical Work, Hardware,
& All Kinds of Satisfaction work

Ref. No. 50/6

श्रीमान उपायुक्त उधान,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

Handwritten signature
Date 18/6/24

Date 18/6/24

विषय:-ई-निविदा क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2024-25 हेतू लंगायी गयी शर्तों की प्रीबिड मीटिंग में आपत्ति दर्ज कर शर्तों को हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त निविदाओं के द्वारा वन लाइम वृक्षारोपण कार्य हेतू शर्तें क्रमांक 8 में फर्म द्वारा पिछले 3 वर्षों में 33 प्रतिशत राशी का एकल कायदेश होना चाहिए जो की यह शर्तें अनुचित हैं जिसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन की श्रेणी आरपीपी एक्ट के अनुसार डी श्रेणी वालों को 15 लाख सी श्रेणी वालों को 50 लाख, बी श्रेणी वालों 1.5 करोड, ए श्रेणी वालों को 3.0 करोड राशि तक के कार्य में किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती हैं। शर्तें संख्या 9 संवेदक स्वम की नर्सरी अथवा स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए। यह भी शर्तें अनुचित हैं। क्यो कि न्यूनतम दरें आने व कायदेश जारी होने पर पौधों की सप्लाई संवेदकों द्वारा दी जाती हैं। जो संवेदक कही से भी पौधे सप्लाई कर सकता हैं। शर्तें संख्या 10 नर्सरी में जी शिडियूल के अनुसार 20 प्रतिशत पौधे रखे होने चाहिए। यह भी शर्तें अनुचित हैं। कायदेश जारी होने पर जी शिडियूल के अनुसार पौधे मात्र सात दिवस के अन्दर पौधे तैयार कर आपूर्ति की जाती हैं। ई-निविदा क्रमांक 8/2024-25, में भी शर्तें अनुचित हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन की अवधि में कितने भी वर्षों में उधानकी कार्यों से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ई-निविदा क्रमांक 9/2024-25, शर्तें संख्या 2, के द्वारा किन्ही 3 वर्षों में 33 प्रतिशत राशि के ट्री गार्ड आपूर्ति की शर्तें भी अनुचित हैं। जब कि हमारी फर्म के द्वारा उधान की कार्यों से सम्बन्धित कार्यों का लगातार लगभग 20 वर्षों का अनुभव हैं।

अतः उक्त निविदाओं में लंगायी गयी शर्तें आरटीपीपी एक्ट के नियम विरुद्ध हैं। उक्त शर्तों को विलोपित कर आरटीपीपी एक्ट के नियमों की पालना कर हमारी फर्म की उक्त ई-निविदाओं में व बोली प्रकिया मे भाग लेने से नहीं रोका जाये। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप व नगर निगम जयपुर ग्रेटर की होगी।

भवदीय

Handwritten signature



M/s MAMTA CONSTRUCTION

Bunkaro ka Mohalla, Rampura- Dabri, JAIPUR, 303704

S.No. 5

Dated... 18/6/2024

सेवाधे

श्रीमान उपयाधुत मोहन
नगरनिगम अमपुरा रोड

Saffiraj
No
18/6/24

विषय : शर्त वन धरि पेजे में शर्त दखानी काबत

मनु विषय में की आप वन धरि पेजे के खेरजारी किर्त
इस में आपने इनमें शर्त लगाई हो जो ना हो वरि खेर हो छोटे खेर में आपने
जो शर्त लगा रखी हो जो डी.ए.सी में छोटे खेर में को रिकार्ड नहीं हो
और मे.डी.ए. में डालाव तक के को रिकार्ड में की को रिकार्ड नहीं हो
अतः आपसे विषय हो की छोटे खेर में शर्त दखानी जावे ताकी छोटे
के रिकार्ड भी इनमें काग ले सगी

ध-याधु

मैलमि ममता कांशम
महेश शर्मा
9982222988

186
18/6/24

मैसर्स ऋतिका एन्टरप्राइजेज

प्लाट न.7, बालाजी विहार-16, वाटिका रोड
तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

मो.न. 9987030340

क्रमांक:.....

दिनांक : 18/6/24


श्रीमान उपायुक्त उद्यान,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

विषय:-ई-निविदा क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2024-25 हेतू लगायी गयी शर्तों की प्रीबिड मीटिंग में आपत्ति दर्ज कर शर्तों को हटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त निविदाओं के द्वारा वन टाइम वृक्षारोपण कार्य हेतू शर्त क्रमांक 8 में फर्म द्वारा पिछले 3 वर्षों में 33 प्रतिशत राशी का एकल कायदेश होना चाहिए जो की यह शर्त अनुचित है जिसमें फर्म का रजिस्ट्रेशन की श्रेणी आरपीपी एक्ट के अनुसार डी श्रेणी वालों को 15 लाख सी श्रेणी वालों को 50 लाख, बी श्रेणी वालों 1.5 करोड, ए श्रेणी वालों को 3.0 करोड राशि तक के कार्य में किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। शर्त संख्या 9 संवेदक स्वम की नर्सरी अथवा स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए। यह भी शर्त अनुचित है। क्यो कि न्यूनतम दरें आने व कायदेश जारी होने पर पौधों की सप्लाई संवेदकों द्वारा दी जाती है। जो संवेदक कही से भी पौधे सप्लाई कर सकता है। शर्त संख्या 10 नर्सरी में जी शिडियूल के अनुसार 20 प्रतिशत पौधे रखे होने चाहिए। यह भी शर्त अनुचित है। कायदेश जारी होने पर जी शिडियूल के अनुसार पौधे मात्र सात दिवस के अन्दर पौधे तैयार कर आपूर्ति की जाती है। ई-निविदा क्रमांक 8/2024-25, में भी शर्त अनुचित है जिसमें रजिस्ट्रेशन की अवधि में कितने भी वर्षों में उद्यानकी कार्यों से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ई-निविदा क्रमांक 9/2024-25, शर्त संख्या 2, के द्वारा किन्ही 3 वर्षों में 33 प्रतिशत राशि के ट्री गार्ड आपूर्ति की शर्त भी अनुचित है।

अतः उक्त निविदाओं में लगायी गयी शर्त आरटीपीपी एक्ट के नियम विरुद्ध है। उक्त शर्तों को विलोपित कर आरटीपीपी एक्ट के नियमों की पालना कर हमारी फर्म की उक्त ई-निविदाओं में व बोली प्रकिया में भाग लेने से नहीं रोका जाये। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी आप व नगर निगम जयपुर ग्रेटर की होगी।


भवदीय

190
18/6/24

315/214

श्रीमान्

DC (Gandun)

श्रीमान्

4

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
नगर निगम हैरिटेज/ग्रेटर

विषय :- निगम की विभिन्न शाखाओं में शर्तें लगाने के क्रम में।
महोदय,

Nagar Nigam (Greater)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर निगम की विभिन्न शाखाओं द्वारा जो निविदा आमंत्रित की जा रही है उनमें संबंधित अधिकारी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए जो शर्तें लगाई जाती हैं वो नियमानुसार गलत हैं कृपया श्रीमान् जी उक्त शर्तों का अवलोकन करने की कृपा करें जैसे-

1. उद्यान शाखा में ट्री गार्ड/बैन्च/कचरा पात्र/ गार्डन संधारण इत्यादि के जो निविदा आमंत्रित की जाती है उसमें पूर्व में लगाई गई शर्त नं. 6² का अवलोकन करे।
2. उक्त शर्त जो पूर्व में लगाई जाती रही है उसमें निविदा राशि का 80 प्रतिशत का एक कार्यादेश या 60 प्रतिशत राशि के 2 कार्यादेश या 40 प्रतिशत राशि के 3 कार्यादेश होने चाहिए।
3. उक्त शर्त से स्पष्ट मालूम होता है कि जो व्यक्ति उद्यान शाखा में 10-12 साल से कार्य कर रहे हैं उनके पास ही इस प्रकार के कार्यादेश उपलब्ध होंगे।
4. उक्त शर्त से ही स्पष्ट होता है कि उक्त शर्तें व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ही लगाई जाती हैं जबकि उक्त आईटम टेक्नीकल हार्ड आईटम नहीं है।
5. उक्त शर्तों के कारण दरे भी अधिक आती हैं और निगम को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है।
6. इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता मुख्यालय द्वारा बाढ़ नियंत्रण में अनुभव आदि की शर्तें लगाने के कारण पूर्व में दरे अधिक आती रही हैं।
7. इस वर्ष 2023-24 की निविदा में श्रीमान् जी से आग्रह करने पर शर्तें हटाई गई थी जिसके कारण उक्त निविदा में जो दर आई हैं वो लगभग 36 प्रतिशत कम आई हैं।

194
18/6/24
3:15pm

श्रीमान् आयुक्त महोदय
नगर निगम हैरिटेज (ग्रेटर), नयापुर
फोन नं. - 259073266
दिनांक - 14/06/2024

अतः श्रीमान जी से आग्रह है कि निगम के उद्यान शाखा आदि को शर्तें नहीं लगाने हेतु निर्देशित करें।

जयपुर, दिनांक :

प्रार्थीगण
निगम ठेकेदार

प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. माननीय यू.डी.एच. मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. श्रीमान सचिव महोदय स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक महोदय, स्वास्थ्य शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर।
6. माननीय महापौर महोदय, नगर निगम हैरिटेज।

जयपुर, दिनांक :

प्रार्थीगण
निगम ठेकेदार

A3

रमेश चन्द्र

A

A

हैस्टेज सिटी कॉन्स्ट्रक्टर्स सोसायटी



जयपुर नगर निगम

क्रमांक HCCS/2024/121

दिनांक : 18/06/2024

अध्यक्ष
रघुवीर शर्मा
9828396635

श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदया,
नगर निगम जयपुर, ग्रेटर,
जयपुर।

FK 86. / DC (Garden)

उपाध्यक्ष
विमल जैन
9314279048

विषय :- उपायुक्त उद्यान नगर निगम ग्रेटर की प्रकाशित निविदाओं में से अनावश्यक शर्तें हटवाने हेतु।

महोदय,

Additional Commissioner
Nagar Nigam Greater Jaipur

नैमीचन्द सैनी
9829019007

उपरोक्त सन्दर्भ में निवेदन है कि निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान के आदेश क्रमांक 119 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा निगमों, निकायों की निविदाओं में अनावश्यक विशिष्ट शर्तें नहीं लगाने के लिए आदेश निकाला गया है। निविदाओं में अनावश्यक शर्तें (जो की फर्म विशेष ही पूर्ति कर सकती है) लगाने से RTTP Act & Rules द्वारा निर्देशित प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है जो नियम विरुद्ध है।

महामंत्री
तरुण कुमार शर्मा
9929885828

इस आदेश को लागू कराने के लिए आपने आदेश क्रमांक 17 दिनांक 20.05.2024 के द्वारा सभी अधिशाषी अभियंताओं एवं उपायुक्तों को पाबंद किया था लेकिन उपायुक्त उद्यान द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है एवं अभी प्रकाशित निविदाओं में अनावश्यक शर्तों को निविदाओं में लागू कर दिया गया है। उपायुक्त उद्यान के यहाँ निविदाओं में शर्तें लगाने का खेल कई सालों से चल रहा है यदि इसकी गहन जाँच की जाये तो करोड़ों रुपयों का फर्जीवाड़ा मिलेगा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिये हर बार उन्ही 5-7 ठेकेदारों को कार्यादेश दिए जाते रहे हैं। वैसे पेड़ सप्लाई करना या लगाना एक साधारण कार्य है। कोई भी यह कार्य कर सकता इसमें शर्तें लगाने की क्या जरूरत है।

संयुक्त मंत्री
जगमोहन गुर्जर
9314339375

निविदाओं में अनावश्यक शर्तें लगाने से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (Fair Competition) नहीं होती क्योंकि निविदाओं में शर्तों की वजह से सभी संवेदक भाग नहीं ले पाते एवं कुछ चुनिंदा संवेदकों के भाग लेने से संवेदक Pool करके ऊँची दरों में कार्य को ले लेते हैं। इससे निगम को लाखों रुपए का भार वहन करना पड़ता है।

जितेंद्र चौधरी
9829819929

अतः आपसे निवेदन है की इन निविदाओं से अनावश्यक शर्तों को हटवाने का कष्ट करे जिनका विवरण निम्न है :-

S.No.	NIT No.	Date of Publish	Nature of Work
1.	01/2024-25 to 08/2024-25 (8 Nos.)	14/06/2024	One Time Plantation
2.	09/2024-25	14/06/2024	Supply of Tree Guard

हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

महोदय

Tarun Kumar



3 को प्राप्त



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर)

क्रमांक :- एफ-19()/उपा0उ0/ननिग्रेज/24/ 127

दिनांक :- 14/06/24

ई-निविदा सूचना संख्या 04/2024-25

ग्रेटर नगर निगम, जयपुर द्वारा निम्न कार्य कराये जाने हेतु नगर निगम जयपुर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त तथा राज्य सरकार के विभागों में "A" व "AA" श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्चूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑन-लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑन-लाईन वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in/> डाउनलोड एवं अपलोड व <http://sppp.raj.nic.in>, www.jaipurmcc.org पर डाउनलोड किये जा सकते हैं :-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	अमानता राशि (2% या 0.5% रूपयों में)	निविदा शुल्क	MD, RISL शुल्क	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	प्री बिड मीटिंग की तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा सूचना संख्या
1	मानसरोवर जोन क्षेत्र में वन-टाईम प्लान्टेशन का कार्य।	2194350	43887 10972	1000	1000	15.06.24 <i>Cur</i>	18.06.24 11:30 AM	19.06.24 5 PM	28.06.24 6 PM	01.07.24 3 PM	04 माह	04/24-25

- निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in> एवं www.jaipurmcc.org पर देखी जा सकती है।
- निविदा शुल्क (Tender fees), MD, RISL शुल्क ऑनलाईन भुगतान नगर निगम जयपुर की Website : www.jaipurmcc.org के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदादाताओं को वेबसाईट से प्राप्त भुगतान की रसीदों को स्कैन कर Website : <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना होगा।
- संवेदक द्वारा पंजीयन की प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, पी.एफ की प्रति एवं ई.एस.आई की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- यदि निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होगा तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी।
- अधिक जानकारी के लिये कार्यालय उपायुक्त उद्यान कमरा नम्बर 307 पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा एनेक्सचर A, B, C, D, E को स्वयं हस्ताक्षर कर स्कैन करके <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा अपलोड करते समय पीएफ एवं ईएसआई अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Me

रविन्द्र सिंह
उपायुक्त (उद्यान)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर